पत्रावली पेश हुई।

9/3/26 वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित- अनुपस्थित।

पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 7/4/26 को पेश हो।

7/4/26 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उप०। मूलवाद में प्रतिवादीगण के विरुद्ध तामिली पर्याप्त मानी गई है अप्रार्थीगण की ओर से आजतक/वकालतन कोई उपस्थित नहीं है अतः मूलवाद में उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एकपक्षीय पत्रावली में प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर दोनो पक्षकारों (प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण) को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि तनाजा मूलवाद एक इजरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की तब्दीली न तो स्वयं करे एवं न ही किसी अन्य से करावें पत्रावली